महाविद्यालय संचालन हेतु स्थाई सम्बद्धता उ0 प्र0 शासन की पूर्वानुमति

संख्या–सम्ब0 927 / सत्तर–6–2011–2(640) / 2011

प्रेषक,

इन्द्रदेव पटेल,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कुलसचिव,
डा0 राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय,
फैजाबाद।

उच्च शिक्षा अनुभाग–6 — लखनऊः दिनांकः 30 सितम्बर, 2011

विषयः– महाविद्यालय संचालन हेतु सम्बद्धता की पूर्वानुमति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक–लो0अ0वि0 / सम्ब0 / 2011–718, दिनांक 05.09.2011 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य सरकार ने उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (यथासंशोधित उ0प्र0राज्य विश्वविद्यालय संशोधन अधिनियम, 2007) की धारा–37(2) के अधीन परशुराम वर्मा स्मारक महिला महाविद्यालय, तारुन, फैजाबाद को स्नातक स्तर पर कला संकाय के अन्तर्गत हिन्दी, अंग्रेजी, संस्कृत, प्राचीन इतिहास समाजशास्त्र, शिक्षाशास्त्र एवं गृहविज्ञान विषयों में स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत शैक्षिक सत्र 2011–12 के परीक्षाफल के अभाव में दिनांक 01.07.2011 से शैक्षिक सत्र 2011–12 हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन सम्बद्धता की पूर्वानुमति प्रदान कर दी है:–

1. शैक्षिक सत्र 2011–12 का परीक्षाफल शासनादेश के अनुसार होने की स्थिति में सत्र 2011–12 के संम्बद्धता की सशर्त पूर्वानुमति के प्रश्नगत आदेश को सम्बद्धता (स्थाई) की बिना किसी शर्त के पूर्वानुमति मानते हुए विश्वविद्यालय स्तर से सम्बद्धता (स्थाई) आदेश निर्गत किए जाएंगे तथा एतद्विषयक आदेश की प्रति तत्समय शासन को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाएगा।
2. संस्था शासनादेश संख्या–2851 / सत्तर–2–2003–16(92) / 2002, दिनांक 02 जुलाई, 2003 में उल्लिखित सुसंगत दिशा–निर्देशों एवं इस विषय में समय–समय पर निर्गत अन्य सुसंगत शासनादेशों का पालन करेगी।
3. यदि संस्था द्वारा विश्वविद्यालय की परिनियमावली / अधिनियम में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता तथा उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जाएगा, तो [illegible] राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 के प्राविधानों के अंतर्गत संस्था को प्रदान की गई [illegible] वापस लिए जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जाएगी।

भवदीय,

(इन्द्रदेव पटेल)
अनु सचिव।

संख्या–सम्ब0 927(1) / सत्तर–6–2011, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. निदेशक, उच्च शिक्षा, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2. क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, लखनऊ।
3. अपर सचिव, राज्य उच्च शिक्षा परिषद, छठां तल, इन्दिरा भवन, लखनऊ।
4. प्रबन्धक, परशुराम वर्मा स्मारक महिला महाविद्यालय, तारुन, फैजाबाद।
5. निजी सचिव, मंत्री, उच्च शिक्षा।
6. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(इन्द्रदेव पटेल)
अनु सचिव।